मुख्य विकास अधिकारी चमोली।

पत्रांकः–NTCP/श्री बद्रीनाथ धाम/तम्बाकू मुक्त/2022–23 दिनांक 21/05/2022

सेवा में,

श्री बालाजी सेवा संस्थान
एन0जी0ओ0 देहरादून।

विषयः–श्री बद्रीनाथ धाम यात्रा को तम्बाकू मुक्त धाम घोषित किये जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्यालय मिशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखण्ड के पत्र संख्या– UKHFWS/NHM/NCD/2016/NTCP LettersIII/105 दिनांक 07/04/2022 के क्रम में चारधाम यात्रा 2022 के अन्तर्गत श्री बद्रीनाथ धाम को तम्बाकू मुक्त किये जाने हेतु निम्न गतिविधियों आयोजन किया जाना प्रस्तावित हैः–

1. चारधाम यात्रा परिसर में धूम्रपान निषेध से सम्बन्धित बोर्ड का प्रदर्शन किया जाना है।
2. चारधाम यात्रा परिसर मार्गो में तम्बाकू से होने वाले दुष्प्रभावों से सम्बन्धित डिस्पले बोर्ड का प्रदर्शन किया जाना है।
3. चारधाम यात्रा मार्गो, होटलों तथा रेस्टोरेटों में कोटपा अधिनियम 2003 के अन्तर्गत सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के उपयोग को प्रतिबन्धित किया जाना है।
4. समस्त प्राधिकृत अधिकारियों को अर्थदण्ड रसीद उपलब्ध करायी जानी है।
5. तीर्थयात्रियों को जागरुक करने के लिए लाउडस्पीकर पोस्टर होर्डिंग आदि के द्वारा जागरुक किया जाना है।
6. चारधाम यात्रा परिसर/मार्गों में किसी भी प्रकार के तम्बाकू पदार्थ तथा सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा इत्यादि के उपयोग को प्रतिबंधित किया जाना है।

अतः उपरोक्तानुसार श्री बद्रीनाथ धाम यात्रा को तम्बाकू मुक्त बनाने के लिए आपके संस्थान के सहयोग से स्वास्थ्य से स्वास्थ्य विभाग चमोली आपसी समन्वय स्थापित करते हुए उक्त गतिविधियों को श्री बद्रीनाथ धाम में सम्पादित करते हुए अनुमति उपरोक्त बिन्दुओं पर कार्य सम्पादित करने हेतु प्रदान की जाती है। अनुमति के दौरान होने वाली समस्त गतिविधियों की सूचना से निरन्तर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित किया जा सके कि श्री बद्रीनाथ धाम पूर्ण रुप से तम्बाकू मुक्त हो गया है, एवं तम्बाकू मुक्त हेतु प्रमाण प्रत्र निर्गत किया जा सके।

23/05/22

मुख्य विकास अधिकारी
चमोली।

पत्रांक एंव दिनांक–यथोपरि।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, श्री बद्रीनाथ/श्री केदारनाथ मन्दिर समिति, जनपद चमोली।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली को इस आशय से प्रेषित कि श्री बालाजी सेवा संस्थान के साथ समन्वय स्थापित कर उक्त गतिविधियों का सम्पादन कराना सुनिश्चित् करें।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद चमोली।
4. जिला पर्यटन अधिकारी, जनपद चमोली।
5. जिला पंचायती राज अधिकारी, जनपद चमोली।
6. अध्यक्ष/नगर पालिका/नगर पंचायत, जनपद चमोली।

मुख्य विकास अधिकारी
चमोली।